

13/7/24

आज पञ्जाबी राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई जॉन्स रिपोर्ट तदुसीलदार सख्तबुप छात्र। मुताबिक रिपोर्ट आर्षी द्वारा उर्ध्वना पत्र में प्रकृत तथा सही हैं। ऐसी स्थिति में उर्ध्वना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः उर्ध्वना पत्र आर्षी स्वीकार किया जाता है एवं वांछित शुद्धि किये जाने के आदेश किये जाते हैं। विस्तृत विवरण पृथक से लिखा जाकर शामिल पञ्जाबी किया जावे। पञ्जाबी कैसल सुमार डीकर नम्बर से कम डी बाद तदुसीलदार शामिल इस्तर की जावे।

निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

be  
(सदस्य)  
लोक अदालत

अध्यक्ष  
लोक अदालत  
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
पानी, जिला-पालपुर (राज.)

10/7/24